दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 13.05.2024

मू.वि.या. (वाणि.) 219/2024, अं.आ. 10830/2024

एनएचपीसी लिमिटेड .....

याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सपन के. मिश्रा, सुश्री मानसी अजमानी, अधिवक्ता

बनाम

अपार इन्फ्राटेक प्रा. लिमिटेड ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. सिंगला, सह डॉ. चंद्र शेखर

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जसमीत सिंह

: **जसमीत सिंह, न्या. (*मौखिक*)**

अं.आ. 10831/2024

1. सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन छूट दी जाती है।

2. याचिकाकर्ता सुनवाई की तिथि अगली तिथि से पहले अभ्यास नियमों का पालन करते हुए छूट प्राप्त दस्तावेजों की सुपाठ्य और स्पष्ट प्रतियां दाखिल करेगा।

3. आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

<u>मू.वि.या. (वाणि.) 219/2024</u>

1. यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की खंड 34 के अधीन दायर एक याचिका है जिसमें विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 30.11.2023 को पारित और 29.01.2024 को संशोधित मध्यस्थता पंचाट को अपास्त करने की मांग की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता भारत सरकार का एक उद्यम है जिसका उद्देश्य हर तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर के समग्र और दक्ष विकास को बढ़ावा देना और व्यवस्थित करना है। देश भर में इसकी कई बिजली परियोजनाएं/स्टेशन हैं। सेवा-II विद्युत केंद्र (120 मेगावाट) जम्मू और कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में स्थित एन.एच.पी.सी. लिमिटेड की ऐसी ही एक परियोजना है।

3. याचिकाकर्ता ने जम्मू और कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में स्थित "सेवा-II बांध के स्टिलिंग बेसिन में उच्च प्रदर्शन कंक्रीट" के लिए एक निविदा जारी की। प्रत्यर्थी ने 14.03.2018 पर अपनी बोली प्रस्तुत की और उसे एल1 पाया गया और इसलिए इसके पक्ष में दिनांक 08.06.2018 का एक पंचाट पत्र जारी किया गया। 11.09.2018 पर, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच एक पूर्व-अनुबंध अखंडता समझौता निष्पादित किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी अनुबंध के अधीन अपने दायित्वों को समय सीमा के भीतर पूरा करने में विफल रहा जैसा कि 24.09.2028 तक पूरा किए जाने वाले काम के लिए संयंत्र की स्थापना आदि सहित आवश्यक कार्य और उसके बाद पूरे काम को 144 दिनों के भीतर यानी 15.02.2019 तक पूरा करने की आवश्यकता थी।

5. 14.12.2018 पर, याचिकाकर्ता ने अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर प्रत्यर्थी को कारण बताएँ नोटिस जारी किया और दिनांक 17.12.2018 पर उत्तर की प्राप्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने जीसीसी के खंड 38 का प्रयोग करते हुए, प्रत्यर्थी के साथ अनुबंध 16.03.2019 पर समाप्त कर दिया।

6. इसके अनुसार, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता खंड का सहारा लिया और न्यायालय ने दिनांक 23.04.2021 के आदेश के माध्यम से विद्वान एकल मध्यस्थ को नियुक्त किया। इसके बाद, विद्वान एकल मध्यस्थ ने संदर्भ में प्रवेश किया और विवादित पंचाट पारित किया।

7. विद्वान एकल मध्यस्थ ने दिनांक 30.11.2023 के विवादित पंचाट के माध्यम से रु. 40,99,000 के साथ मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजे जाने की तिथि से 10 प्रतिशत के साथ प्रत्यर्थी के दावों की अनुमति दी ।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा का कहना है कि विद्वान मध्यस्थ के पास ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि यह जी.सी.सी. की

शर्त 55.4 नामक अनुबंध की एक विशिष्ट शर्त थी जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थता संस्थान द्वारा निर्णय के निर्धारण और अधिसूचना तक की अवधि के लिए विवादित/दावा की गई राशि पर नियोक्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

9. श्री सिंघला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, निर्देशों पर बहुत निष्पक्षता से कहते हैं कि उक्त ब्याज राशि को निर्दिष्ट करने की तिथि से पंचाट की तिथि तक अपास्त किया जा सकता है।

10. मेरा यह भी विचार है कि उक्त भाग मुख्य पंचाट से अलग किया जा सकता है और इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि संदर्भ की तिथि से पंचाट की तिथि तक 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि जीसीसी के खंड 55.4 की शर्तों के भिन्न है और इसके परिणामस्वरूप उक्त ब्याज भाग को अपास्त कर दिया जाता है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने आगे कहा कि दावा संख्या 1 और दावा संख्या 4 का पंचाट भी अनुबंध की शर्तों से भिन्न है, जो विद्वान मध्यस्थ के समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री है और इसलिए इसे अपास्त करने की आवश्यकता है।

12. अंक संख्या 1 में लिखा है कि "क्या दिनांक 16.12.2019 का प्रतिबंध आदेश दिनांक 08.06.2018 अनुबंध को देखते हुए मध्यस्थता कार्यवाही के दायरे से बाहर है।" पूर्व-अनुबंध अखंडता समझौते के खंड 10 को आधार बनाते

हुए, उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाने का आदेश विवाद का विषय नहीं हो सकता है। उक्त खंड निम्नानुसार है:

> *"10.0 कानून और अधिकारिता का स्थानः यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन और अधिकार क्षेत्र का स्थान नियोक्ता का पंजीकृत कार्यालय अर्थात फरीदाबाद (हरियाणा) है।*
> *निविदा दस्तावेज/अनुबंध में प्रदान किया गया मध्यस्थता खंड अखंडता समझौते के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे/विवाद के लिए लागू नहीं होगा।"*

13. विद्वान मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को संदर्भित करना उचित है जो निम्नानुसार है:

> *"यह खंड स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि निविदा दस्तावेज/अनुबंध में प्रदान किया गया मध्यस्थता खंड अखंडता समझौते के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे/विवाद के लिए लागू नहीं होगा। चूंकि वर्तमान विवाद अखंडता समझौते के अधीन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अखंडता समझौते का खंड 10 वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।इसके अलावा, मध्यस्थता खंड 55.2.2 जी.सी.सी. को दावेदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अधीन याचिका दायर करके लागू किया गया था, जिसने सहमति आदेश के रूप में दिनांक 23.04.2021 का आदेश पारित किया और विवाद को एस.सी.ओ.पी.ई. द्वारा से मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा। इसलिए दिनांक 16.3.2019 के अनुबंध आदेश और दिनांक 16.12.2019 के प्रतिबंध आदेश की समाप्ति मध्यस्थता कार्यवाही के दायरे में हैं। इसलिए इस मुद्दे का निर्णय प्रत्यर्थी के विरुद्ध किया जाता है।"*

14. विद्वान मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के अलावा, चूंकि अनुबंध को जी.सी.सी. की शर्तों के उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया था (पंचाट पत्र का हिस्सा होने के नाते) और बाद में, समाप्ति को देखते हुए प्रत्यर्थी को प्रतिबंधित कर दिया गया था, मेरा विचार है कि जिन चूक के लिए प्रत्यर्थी को

प्रतिबंधित किया गया था, वे पूर्व-अनुबंध अखंडता समझौते से नहीं बल्कि दिनांक 08.06.18 के पंचाट पत्र से उत्पन्न हो रहे थे। इसलिए, इस पहलू में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई गुणावगुण नहीं है।

15. अंक संख्या 4 के संबंध में, श्री मिश्रा का कहना है कि विद्वान मध्यस्थ ने अनुबंध के 15 प्रतिशत लाभ के नुकसान के लिए गलत तरीके से हर्जाना दिया है। अंक संख्या 4 निम्नानुसार है:

> *"क्या दावेदार को अनुबंध की समाप्ति के आदेश और उसके परिणामस्वरूप प्रतिबंध आदेश के कारण नुकसान/हानि हुई है? यदि ऐसा है तो कितनी राशि की ?"*

16. विद्वान मध्यस्थ ने अपना निष्कर्ष इस प्रकार दिया है:

> *"जहाँ तक लाभ/क्षति के नुकसान की राहत का संबंध है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री ने मुझे यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया है कि एन.आई.टी. हमीरपुर के शुल्क के नुकसान और रु. 40,00,000 (केवल रु.40 लाख) के अनुबंध के अधीन काम के निष्पादन के लाभ के नुकसान के रूप में रु. 99,000, की राशि के उक्त दावे की अनुमति है। तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी दावेदार को इस मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मामले के संदर्भ की तिथि से ब्याज 10% प्रतिशत दर के साथ रु. 40,99,000 (केवल रु. 40 लाख और नब्बे हजार) देगा। पक्षों को अपना खर्च स्वयं वहन करने का निर्देश दिया जाता है।"*

17. विद्वान मध्यस्थ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से अनुबंध समाप्त कर दिया है, विद्वान मध्यस्थ ने केवल ***ए.टी. बृज पॉल सिंह बनाम गुजरात राज्य (1984) 4 एस.सी.सी. 59*** और ***द्वारका दास बनाम एम.पी. राज्य (1999) 3 एस.सी.सी. 500*** मामले में माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और सीपीडब्लूबी के दिनांक 14-12-2007 के कार्यालय ज्ञापन को इस निष्कर्ष पर पहुँचने का आधार बनाया है कि संविदा की अवैध समाप्ति के कारण लाभ की हानि के लिए संविदा राशि का 15% युक्तिसंगत है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

18. उक्त कारणों से, दिनांक 30.11.2023 को पारित और 29.01.2024 पर संशोधित मध्यस्थ पंचाट केवल दिए गए ब्याज की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

19. यदि याचिकाकर्ता आज से 10 दिनों के भीतर रु. 40,99,000/- का भुगतान करता है तो कोई ब्याज नहीं होगा।

20. यदि 10 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता पंचाट की तिथि से भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

21. इन निर्देशों के साथ, याचिका का निपटान किया जाता है।

जसमीत सिंह, न्या.

13 मई, 2024/डीएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*